कार्यालय जनपद न्यायाधीश, आगरा।

(प्रशासनिक अनुभाग)

सूचना

दिनांक: ~~18~~ 23 जुलाई, 2025

जनपद न्यायालय, आगरा में स्थापित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 01 व 02, आगरा में न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति को दृष्टिगत रखते हुये शासनादेश संख्या–3094/ सात–न्याय–2–201–जी/95 दिनांकित 05.02.1997 में वर्णित शर्तो की अधीन सेवानिवृत्त 02 रीडर, 02 अहलमद व 01 चपरासी की नियुक्ति, जिला न्यायालय एवं कलैक्ट्रेट के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, यदि उक्त पद इससे पूर्व निरस्त न हो जायें, की जायेगी।

रीडर व अहलमद को माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त पत्रांक 2426/2023/एडमिन जी–1 दिनांकित 16.02.2023 के अनुसार मु0 6750/– प्रतिमाह की धनराशि देय होगी तथा चपरासी को मु0 150/– प्रतिदिन की दर से मजदूरी देय होगी। उक्त मजदूरी कार्यदिवस के अनुसार ही देय होगी। यह चपरासी सरकारी कर्मचारी नहीं होगा। उक्त न्यायालय में रीडर व अहलमद की नियुक्ति जिला न्यायालय एवं कलैक्ट्रेट के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से की जायेगी।

उपयुक्त योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 05.08.2025 की अपरान्ह् 04:00 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

तद्नुसार सूचना जनपद न्यायालय, आगरा व कलैक्ट्रेट, आगरा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये।

(राजेन्द्र प्रसाद) 23/7/25
अध्यक्ष, परामर्शदात्री समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या 01, आगरा।

प्रतिलिपि :–

01. विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर), माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाये कि वे उपरोक्त विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
02. प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, आगरा।
03. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि वे उपरोक्त विज्ञप्ति को जिला न्यायालय, आगरा की वेबसाईट पर अपलोड करायें।
04. जिला सूचना अधिकारी, आगरा दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।
05. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय, आगरा व जिलाधिकारी, आगरा।

Scanned with OKEN Scanner